अपील सूचना अधिकार संख्या 74/2019 (RCMS 2019/00208) श्री राधेश्याम गोयल पुत्र भगवानदास गोयल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर

06.11.2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुआ। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी ने अपनी बहस में कहा कि उसने लोक सूचना अधिकारी एवं जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके 03बिन्दुओं की सूचना चाही थी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे निश्चित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसे लोक अधिकारी से वांछित बिन्दुवार सूचनाएं उपलब्ध करवाई जावे एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत 25000/– रूपये शास्ति अधिरोपित की जावे एवं हर्जाना प्रार्थी को दिलवाये जाने की प्रार्थना की है।

मैनें उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 12.07.2019 से लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थीः

1. प्रार्थी का पत्रांक प्रार्थना पत्र 7003 दिनांक 27.04.2017 आपके कार्यालय में पहुंचने की तारीख व पत्र प्राप्ति रजिस्टर के क्रमांक की सूचना व प्रमाणित प्रति।
2. पत्र प्राप्ति से दिनाक 05.07.2019 तक पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार व अधिकारी का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रति।
3. पत्र प्राप्ति से दिनांक 05.07.2019 तक पत्र पर जो जो कार्यवाही जिस जिस कर्मकार व अधिकारी द्वारा की गई, इस कार्यवाही की सूचना व कर्मकार व अधिकारी के नाम व पद की सूचना।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ(37)(8)RTIनिर्वा/2019/12606 दिनांक 17.09.2019 से अपीलार्थी/प्रार्थी को निम्नानुसर जवाब दिया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में आपके RTI आवेदन दिनांक 08.07.2019 द्वारा चाही गई सूचना के कुल 5 पेज हेतु आपको शुल्क जमा कराने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 12337 दिनांक 31.07.2019 द्वारा सूचित किया गया था। आप द्वारा दिनांक 11.09.2019 को पोस्टल ऑर्डर 46 एफ–863144 द्वारा राशि 10 रूपये जमा करायी गयी। अतः आपको संलग्न 5 पेज की सूचना प्रेषित है। आप द्वारा पत्रों के पहुंचने के तारीख व क्रमांक का पूछा है जो पत्र पर ही आगत क्रमांक अंकित है। अन्य बिन्दुओं के कोई दस्तावेज नहीं है एवं प्रश्नात्मक है तथापि आप किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय में कार्यालय समय में उपस्थित होकर उपलब्ध पत्रावलियों में से सूचना चिन्हित कर ले ताकि आपको सूचना उपलब्ध कराई जा सके।
>
> -sd-
> (ओ.पी.जैन)
> लो सूचना अधिकारी
> (अति. जिला कलक्टर)
> कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी** द्वारा उक्तानुसार जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यता नहीं है। **इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।**

अतः अपीलार्थी की अपील उक्त विवेचन के आधार पर निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर